महत्वपूर्ण

दूरभाषः 2237604 (का0)/ मो0:9454786113

बृजेश यादव,
निदेशक,

प्र0शा0प0सं0– 527 /01/प्रा0र0मू0प्र0/2024

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 14 फरवरी, 2025

आदरणीय महोदय/महोदया,

कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.02.2025 में प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये हैं। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

14.02.2025

(बृजेश यादव)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/प्रमुख अभियंता
   समस्त कार्यदायी संस्थाएं, उ0प्र0।

कोड 31/07–02–2025/(24–25)

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07–02–2025 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु–1

प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी किये जाने के सम्बन्ध में समिति को निम्नवत् अवगत कराया गयाः–

1. वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2011 के क्रम में राजकीय निर्माण एजेन्सियों (यू0पी0आर0एन0एन0, सी0 एण्ड डी0एस0, यू0पी0पी0सी0एल0, समाज कल्याण निर्माण निगम, आवास एवं विकास परिषद, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 एवं उ0प्र0 जल निगम इत्यादि) द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के रूप में किये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में कार्यकुशलता हेतु 5 प्रतिशत की कमी के उपरान्त प्रायोजना लागत अनुमानित की जाती है।
2. व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के क्रम में ई0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित भवन निर्माण सम्बन्धी प्रायोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों की लागत में कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप 5 प्रतिशत की कमी के उपरान्त प्रायोजना लागत अनुमानित की जाती है।
3. ई0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित भवन निर्माण सम्बन्धी प्रायोजनाओं के इतर प्रायोजनायें (एक्सप्रेसवे आदि) की लागत में कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficency के रूप 5 प्रतिशत की कमी नहीं की जाती है।
4. प्रदेश के इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट्स यथा–लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इत्यादि द्वारा कराये जा रहे कार्यों उदाहरणस्वरूप –भवन निर्माण, सड़क निर्माण, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर सिस्टम, नहर निर्माण, डैम/बैराज निर्माण इत्यादि) सम्बन्धी प्रायोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficiency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी नहीं की जाती है। चूँकि अब सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समस्त कार्य खुली निविदा पर आमंत्रित कर कराए जाते हैं। अतः प्रभावी तौर पर Competitive Price Efficiency सभी कार्यों में प्राप्त होती है।

अतः सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा समस्त अभियंत्रण विभागों /राजकीय निर्माण एजेन्सियॉ द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्माण/ क्रियान्वित की जा रही समस्त प्रकार की प्रायोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों में कार्यों की लागत पर कार्यकुशलता/ Competitive Price Efficency के रूप में 5 प्रतिशत की कमी किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त निर्देश ई0पी0सी0 मोड अथवा नान ई0पी0सी0 मोड पर निर्मित/क्रियान्वित की जा रही समस्त प्रायोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(कार्यवायीःसमस्त प्रशासकीय विभाग/समस्त कार्यदायी संस्थायें)

11/02/2025

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य–संयोजक

(सी0पी0 गुप्ता)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0– सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति